9/6/2025 पत्रा. पेश हुई। बहस सुनी। वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली नियमानुसार इंद्राज नम्बर के क्रम में जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

लीला बनाम सुरेश बगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 113/2019
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दई व .... डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी वादनी को आराजी मुतदाविया के खसरा नं0 384/11, 385/11, 388/11, 420/18, 432/37, 506/85, 507/32, 565/52, 566/73, 578/27, 590/01, 591/71, 668/22, 669/21, 670/21, 671/21, 673/01, 674/27, 676/21, वाके ग्राम उंच पर वादीगणों (वादी संख्या 1/1 लगायत 1/8) को 1/192 हिस्से पर, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को 1/9 हिस्से पर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 08 सोनो को 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

वेज ...... मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ________फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ________ की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख.........9-6-2025......... को जारी की गई ।

मुहर दस्तखत________

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

9/6/2..

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1. लीलावती पुत्री शोभाराम पत्नि डालचंद (मृतक)

1/1 डालचंद पुत्र दीपचंद जाति ब्राहमण निवासी हौंता तहसील नदबई भरतपुर

1/2 देवेन्द्र पि0 डालचंद जाति ब्राहमण निवासी हौंता तहसील नदबई भरतपुर

1/3 टेकचंद पि0 डालचंद जाति ब्राहमण निवासी हौंता तहसील नदबई भरतपुर

1/4 चिंतामणि नाबालिग वली पिता खुद डालचंद पुत्र दीपचंद जाति ब्राहमण निवासी हौंता तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/5 सरिता तिवाडी पुत्री, डालचंद जाति ब्राहमण निवासी हौंता तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/6 ललिता देवी पुत्री डालचंद पत्नि अनिल जाति ब्राहमण निवासी बहरामदा तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/7 निर्मला देवी पुत्री डालचंद पत्नि सतीश चंद जाति ब्राहमण निवासी डुमरिया तहसील रूपवास जिला भरतपुर

1/8 नीलम देवी पुत्री डालचंद पत्नि प्रेमचंद जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 115 मुख्तानंद नगर जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र पूरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. शिवकान्त पुत्र पूरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. रविकान्त पुत्र पूरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. रामवती वेवा पूरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
6. सब रजिस्ट्रार, नदबई।
7. अलवर भरतपुर ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा नदबई जरिये प्रबंधक

—असल प्रतिवादीगण

8. सोनो उर्फ सोनदेई पुत्री शोभाराम जाति ब्राहमण पत्नि मुरारी निवासी उंच हाल सावई खेडा तहसील डीग

— तरतीबी प्रतिवादीगण

न्यायालय ...
प्रकरण सं. 113/20..
किस्म दावा 88,89
जीसीएमएस नंब...
निर्णय दिनांक

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 113/2019

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

जीसीएमएस नंबर 2019/00249

निर्णय दिनांक. – 09.06.2025

1. लीलावती पुत्री शोभाराम पत्नि डालचंद (मृतक)

1/1 डालचंद पुत्र दीपचंद जाति ब्राहमण निवासी होंता तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/2 देवेन्द्र पि0 डालचंद जाति ब्राहमण निवासी होंता तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/3 टेकचंद पि0 डालचंद जाति ब्राहमण निवासी होंता तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/4 चिंतामणि नाबालिग वली पिता खुद डालचंद पुत्र दीपचंद जाति ब्राहमण निवासी होंता तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/5 सरिता तिवाडी पुत्री डालचंद जाति ब्राहमण निवासी होंता तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/6 ललिता देवी पुत्री डालचंद पत्नि अनिल जाति ब्राहमण निवासी बहरामदा तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/7 निर्मला देवी पुत्री डालचंद पत्नि सतीश चंद जाति ब्राहमण निवासी डुमरिया तहसील रूपवास जिला भरतपुर

1/8 नीलम देवी पुत्री डालचंद पत्नि प्रेमचंद जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 115 मुख्तानंद नगर जयपुर

–वादीगण

बनाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
एव
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1. सुरेश पुत्र पूरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. शिवकान्त पुत्र पूरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. रविकान्त पुत्र पूरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. रामवती वेवा पूरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
6. सब रजिस्ट्रार, नदबई।
7. अलवर भरतपुर ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा नदबई जरिये प्रबंधक

—असल प्रतिवादीगण

8. सोनो उर्फ सोनदेई पुत्री शोभाराम जाति ब्राहमण पत्नि मुरारी निवासी उंच हाल सावई खेडा तहसील डीग

— तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूल सिह एड.(वादी)

श्री अशोक कुमार एड. (प्रतिवादी की ओर से)

निर्णय

दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् पेश किया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है—

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में सभी पक्षकारान बालिग तथा स्वस्थ चित्त है तथा दावा लडने योग्य है।
2. यह है कि आराजी खसरा नं. 384 रकवा 0.11, 385 रकवा 0.11, 388 रकवा 0.11, 420 रकवा 0.18, 432 रकवा 0.37, 506 रकवा 0.85, 507 रकवा 0.32, 565 रकवा 0.52, 566 रकवा 0.73, 578 रकवा 0.27, 590 रकवा 0.01, 591 रकवा 0.71, 668 रकवा 0.22 ,669 रकवा 0.21, 670 रकवा 0.21, 671 रकवा 0.21, 673 रकवा 0.01, 674

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

9/6/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रकवा 0.27, 676 रकवा 0.21 कुल किता 19 रकवा 5 हैक्टे. 63 एयर वाके ग्राम उंच तहसील नदबई में स्थित है।

3. यह है कि उक्त आराजी शोभाराम पुत्र हरभजन जो कि वादनी के पिता है, की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिनका देहान्त हो चुका है एवं उनकी पत्नि अर्थात वादनी की मां रामदेई का देहान्त 01.11.2005 को हो चुका है। वादनी के भाई पूरन का देहान्त अर्सा करीब 20 साल पूर्व हो चुका है। उसके पुत्रगण वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 3 है, मृतक शोभाराम का सजरा वादपत्र अनुसार है।

4. यह है कि आराजी मुतदाविया दर्ज मद संख्या 02 अर्जी दावा के खातेदार काश्तकार श्री शोभाराम पिता वादनी थे। जिनका देहान्त अर्सा करीब 6 साल पूर्व हो चुका है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार शोभाराम की मृत्यु पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादिनी सोनो तथा शोभाराम के मृतक पुत्र पूरन के पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 जीवित है। शोभाराम की पत्नि श्रीमती रामदेई का भी देहान्त हो चुका है। और उसके वारिसान भी वादनी एवं तरतीवी प्रतिवादनी तथा मृतक पुत्र पूरन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 है।जिनका आराजी मुतदाबिया पर विरासतन अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादनी 1/3 तरतीवी प्रतिवादी सोनो 1/3 तथा मृतक पुत्र पूरन के पुत्रगण व पत्नि 1 लगायत 4 व हिस्सा बरावर 1/3 के खातेदार काश्तकार है। और उन्हें आराजी मुतदाबिया पर इसी कदर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने गुपचुप तरीके से कानून के विरूद्व अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली है। जो गलत व कानून के विरूद्व है। अतः आराजी मुतदाबिया में वादनी 1/3 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादनी 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 वाहिस्सा बरावर 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में आ0 मुतदबिया पर गलत इन्द्राजात को कलमजन कराकर सही इन्द्राजात खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

5. यह है कि आराजी मुतदाबिया के वादनी 1/[illegible] तथा प्रतिवादीगण असल व हिस्सा बरावर 1/3 हिस्से तथा तरतीवी प्रतिवा[illegible] 1/3 हिस्से की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी योग्य है। व सहखातेदार ही सम्मिलित काश्त करने संभव नहीं रहा है। जबकि वादनी अपनी आराजी का अलग खातेदारी व लगान तथा बंटवारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी करा पाने के अधिकारी है।

6. अतः प्रार्थना है कि दावा वादनी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि वादनी को आराजी मुतदाविया के खसरा नं0 384/11, 385/11, 388/11, 420/18, 432/37, 506/85, 507/32, 565/52, 566/73, 578/27, 590/01, 591/71, 668/22, 669/21, 670/21, 671/21, 673/01, 674/27, 676/21, वाके ग्राम उंच का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे एवं प्रतिवादीगण असल के नाम हो रहे गलत इन्द्राजातों को कलमजन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 4 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जो निम्न प्रकार है–

1. यह है कि मद संख्या 01 दावा वादिनी हम प्रतिवादीगण को स्वीकार है।
2. यह है कि मद संख्या 02 दावा वादिनी में विवादित आराजी वाके ग्राम उंच तहसील नदबई में स्थित होना हम प्रतिवादीगण को स्वीकार है।
3. यह है कि मद संख्या 03 दावा वादिनी में शजरा दर्शित वादनी ने किया है वह हम प्रतिवादीगण को आंशिक स्वीकार है क्योंकि विवादित आराजी मृतक शोभाराम की कब्जे व खातेदारी की आराजी नहीं है। बल्कि विवादित आराजी हम प्रतिवादीगण के पूर्वजों की आराजी है। यानि ये आराजी हम प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम को उनके पिता हरभजन से प्राप्त हुई थी। यानि विवादित आराजी शोभाराम की कब्जे व खातेदारी की नहीं है। यानि उसकी स्वयं की अर्जित आराजी नहीं है।
4. यह है कि मद संख्या 04 दावा वादिनी में हम प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम की मृत्यु सन् 2001 के आस–पास हो गई थी तथा उनसे पूर्व हम प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु 8 मार्च सन् 1987 को हो गई थी तथा हम प्रतिवादीगण की दादी की मृत्यु भी हो चुकी है।चुंकि विवादित आराजी हम प्रतिवादीगण के पूर्वजों के कब्जे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

3/6/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी की आराजी है। यानि हम प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम के पिता हरभजन की खातेदारी की आराजी है। यानि हम प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम के पिता हरभजन की खातेदारी की आराजी है। इसलिए हम प्रतिवादीगण के पिता पूरन के जीवनकाल में उक्त विवादित आराजी पर केवल हम प्रतिवादीगण के पिता पूरन का हक बनता है। तथा उनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर हक बनता है। विवादित आराजी हम प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम की स्वअर्जित आराजी नहीं है।बल्कि विवादित आराजी हम प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम की विरासत से प्राप्त हुई है। इसलिए वादनी का विवादित आराजी पर 1/3 हिस्से पर किसी प्रकार का हक नहीं बनता है। और न ही 1/3 हिस्से पर तर0 प्रतिवादीगण सोनो का किसी प्रकार का हक बनता है। तथा दावा वादनी काबिल खारिजी के है।

5. यह है कि मद संख्या 6 दावा वादिनी में अंकित तथ्य गलत तहरीर करने के कारण हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। जब वादिनी का विवादित आराजी पर किसी किस्म का हम नहीं बनता है। और न ही वादिनी हम प्रतिवादीगण के साथ विवादित आराजीयात पर काबिज है तो वह विवादित आराजी का हम प्रतिवादीगण के साथ बंटवारा कराने की अधिकारिणी भी नहीं है।

6. यह है कि वादिनी विवादित आराजी पर हम प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम के जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के बाद कभी काबिज नहीं रही है तथा दावा दायरी के समय भी वादिनी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। इसलिए वादनी का वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

7. यह है कि वादिनी ने मृतक शोभाराम की कभी सेवा नहीं की । यहां तक उसकी बीमारी के समय भी वादिनी उसे देखने तक नहीं आयी जबकि हम प्रतिवादीगण का बाबा शोभाराम जीवन पर्यन्त हम प्रतिवादीगण के साथ रहा । उसका जीवन यापन उनकी सेवा भुषया तथा उनकी बीमारी की हालत में उनकी दवाई दिलाई की व्यवस्था व देखभाल आदि व्यवस्था हम प्रतिवादीगण ने की थी तथा मृत्यु के समय उन्होने विवादित आराजी में किसी प्रकार का हक वादिनी व तरतीवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

9/6/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
... (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादिनी को न देने के वास्ते गांव के व्यक्तियों के समक्ष स्पष्ट कर दी थी। इसके अलावा नामान्तरण के समय भी वादिनी व तर. प्रतिवादिनी स्वयं उपस्थित थी तथा उस वक्त भी उन्होनें विवादित आराजी पर किसी प्रकार का हक लेने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी तथा आज तक उन्होंने हम प्रतिवादीगण के हम में हो रहे नामान्तरण को किसी अदालत में चेलेन्ज नहीं किया तो वादिनी बिना किसी आधार पर हम प्रतिवादीगण के खातेदारी के इन्द्राजात को वादपत्र के माध्यम से निरस्त कराने की अधिकारिणी नहीं है।

अतः जबावदावा हम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर दावा वादिनी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाव दावा के आधार पर पत्रावली में तनीकायात कायम की गई। जो निम्नानुसार है–

1. आया वादी विवादित आराजीयात में वादिनी 1/3 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादिनी 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 1 लगायत 4 वाहिस्स बरावर हिस्सा 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गलत इन्द्राजातों को कलम करा कर सही इन्द्राजात खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

– जिम्मेवादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण के जरिये हुक्म इम्तनाईदवामी की डिकी से पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

3. आया वादी विवादित आराजीयात मृतक शोभाराम की कब्जे व खातेदारी की आराजी नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण के पूर्वजों की आराजी है, जो कि प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम को उनके पिता हरभजन से प्राप्त हुई थी, यानि विवादित आराजी शोभाराम के कब्जे व खातेदारी की आराजी नहीं है।जो कि उनकी स्वअर्जित आराजी है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

9/6/25

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

4. आया विवादित आराजी हेम प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम की स्वअर्जित आराजी नहीं है, शोभाराम को उक्त आराजी विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। इसलिए वादिनी विवादित आराजी पर 1/3 हिस्से पर किसी प्रकार का हक नहीं बनता है। और न ही 1/3 हिस्से पर तरतीवी प्रतिवादी सोना का किसी प्रकार का हक नहीं बनता है। वादपत्र काबिल खारिजी के है।

— जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण के हक में हो रहे नामान्तरण को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया है, तो वादिनी किस आधार पर प्रतिवादीगण की खातेदारी के इन्द्राजातों को निरस्त करा पाने की अधिकारी नहीं है।लिहाजा वादपत्र काबिल खारिजी के है।

— जिम्मे प्रतिवादीगण

6. दीगर दादरसी।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2001 से 2020 (प्रदर्श–01), नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 (प्रदर्श–02) नकल जमाबंदी संवत 2046–2049 (प्रदर्श–03), प्रमाणित प्रतिलिपि जमांबंदी सं. 2042 से 2045 वाके ग्राम उंच (प्रदर्श–4) वाके ग्राम उंच पेश किये गये। मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी की ओर से वात्सल्य उर्फ चिन्तामणि पुत्र श्री डालचंद शर्मा के शपथ–पत्र पेश किए गए। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य/शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी वकील के कथन रहे कि शोभाराम पुत्र हरभजन जो कि वादनी के पिता है, की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिनका देहान्त हो चुका है एवं शोभाराम की मृत्यु के समय उसकी पत्नि रामदेई, दो पुत्रियां लीला व सोनो व पूरण वारिसान रहे है। उनकी पत्नि अर्थात वादनी की मां रामदेई का देहान्त 01.11.2005 को हो चुका है। वादनी के भाई पूरन का देहान्त हो चुका है। उसके पुत्रगण वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 3 है [illegible] लीला का देहान्त भी हो चुका है जिसका संशोधित टाईटल पेश किया जा चुका है। शोभा[illegible] की पिता हरभजन से आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

9/6/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
(भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त हुई है। हम वादीगण पहली केटेगरी के वारिसान होने के कारण [illegible]न–8 के तहत विवादित आराजी में हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 बनता है। अतः [illegible]दी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी वकील के कथन रहे कि लीला, शोभाराम की पुत्री है, इसके संबध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। लीला शोभाराम की पुत्री नहीं है। शोभाराम की मृत्यु वर्ष 2005 में हो चुकी है। एवं जिनके पिता वर्ष 2005 से पूर्व मर चुके है, उन्हें पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है। वादी द्वारा नामान्तरण की नकल पेश नहीं की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं लीला की सहमति है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि खसरा नं0 384/11, 385/11, 388/11, 420/18, 432/37, 506/85, 507/32, 565/52, 566/73, 578/27, 590/01, 591/71, 668/22, 669/21, 670/21, 671/21, 673/01, 674/27, 676/21, वाके ग्राम उंच तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी शोभाराम की पैतृक आराजी है। जो उनके पिता हरभजन से विरासतन प्राप्त प्राप्त हुई है। (नकल जमाबंदी संवत 2046–2049 (प्रदर्श–03), प्रमाणित प्रतिलिपि जमांबंदी सं. 2042 से 2045 वाके ग्राम उंच (प्रदर्श–4) वाके ग्राम उंच तहसील नदबई) कीमतन 15.10.1986 को अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वा[illegible]गण के हक में करवा दिया। (वयनामा दिनांक 15.10.1986) हिन्दू उत्तराधिकार [illegible] के अनुसार पैतृक आराजी में संतान का हक जन्म से निहित होता है। वाद[illegible] पेश किये गये मौखिक बयानों से भी सिद्ध होता है कि वादीगण को हिस्[illegible] जाना न्यायहित में है। जबावदावा में प्रतिवादीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादित आराज़ीयात प्रतिवादीगण के बाबा शोभाराम को विरासत से प्राप्त [illegible] है। चुंकि मुताबिक जमाबंदी विवादित आराजीयात में शोभाराम 1/8 हिस्से पर [illegible] काश्तकार रहे है। अतः प्रतिवांदीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादनी को विवादित आराजीयात में 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित जाना उचित प्रतीत होता है।

9/6/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी वादनी को आराजी मुतदाविया के खसरा नं0 384/11, 385/11, 388/11, 420/18, 432/37, 506/85, 507/32, 565/52, 566/73, 578/27, 590/01, 591/71, 668/22, 669/21, 670/21, 671/21, 673/01, 674/27, 676/21, वाके ग्राम उंच पर वादीगणों (वादी संख्या 1/1 लगायत 1/8) को 1/192 हिस्से पर, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को 1/9 हिस्से पर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 08 सोनो को 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

::आदेश::

16/6/25

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner